No. NI/ME/49/VO/2018-19

Subject: Orientation Course for Functionaries of Voluntary Organisations on Monitoring & Evaluation of Development Programmes for Women and Children (28 May - 1 June, 2018) at New Delhi.

Sir/ Madam,

The Institute is organizing an Orientation Course for Functionaries of Voluntary Organisations on Monitoring & Evaluation of Development Programmes for Women and Children from 28 May - 1 June, 2018 at NIPCCD Headquarters, New Delhi located at 5 Siri Institutional Area, Hauzkhas, Opposite Hauz Khas Police Station, New Delhi - 110016. The main objectives of the course are to orient the participants to the concept and importance of monitoring and evaluation in social development programmes, apprise them to the latest methods/techniques of monitoring and evaluation of the programmes and enhance their skills for quality monitoring and supervision of women and child development programmes. This will also provide an opportunity for sharing ideas for broadening their perspective in monitoring, research and evaluation. The Course design containing information about the course is enclosed.

2. The participants of the course will include Executive and Senior level functionaries of voluntary organizations who are involved in development/welfare programmes related to women and children. We shall be grateful if you could kindly nominate **one executive/middle level functionary** from your organization, engaged in development/welfare programmes related to women and children and who has **not attended any training programme of the Institute during last two years.** Participants above the age of 65 and below the age of 21 years and those having educational qualifications below graduation may not be nominated.

3. It may be mentioned that, while the Institute will continue to subsidise its programmes, it has been decided to charge a nominal registration fee of Rs.500/- (Rupees five hundred only) per participant for participation in the programme at the time of registration.

4. As you may be aware, NITI Aayog has developed a website entitled “NGO Darpan” on which it is desirable for all VOs to register themselves. As a Voluntary Organisation you are requested to mention code/file number of “NGO Darpan” (on the Nomination Proforma). In case, the organisation has not registered as yet, they can sign up with the above website and get code/file number. In case your Code/File number is not mentioned in the nomination form, your nomination will not be considered.

5. The filled in nomination form with a passport sized colour photograph forwarded by Head of the Organisation may be sent to the Institute latest by **4th May, 2018**. Nominee may proceed to Delhi only after receiving confirmation for participation from the Institute**.**

Looking forward to your cooperation and early reply.

Thanking you,

Yours faithfully,

(Dr. K.C. George)
Joint Director (Training)

Encl. As above

सं0 एन.आई./एम.ई./49/वी.ओ./2018–19

विषय : स्वैच्छिक संगठनों के कार्यकर्ताओं के लिए 'महिलाओं और बच्चों के लिए विकास कार्यक्रमों की मानिटरिंग एवं मूल्यांकन' विषय पर राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान, क्षेत्रीय केंद्र, इंदौर में दिनांक 28 मई–1जून, 2018 तक आयोजित अनुशिक्षण पाठ्यक्रम

महोदय/महोदया,

संस्थान द्वारा स्वैच्छिक संगठनों के कार्यकर्ताओं के लिए 'महिलाओं और बच्चों के लिए विकास कार्यक्रमों की मानिटरिंग एवं मूल्यांकन' विषय पर दिनांक 28 मई–1जून, 2018 तक संस्थान के मुख्यालय, जो 5, सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रान्ति मार्ग, हौज खास, हौज खास पुलिस स्टेशन के सामने नई दिल्ली में स्थित है, में एक अनुशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किया जा रहा है । पाठ्यक्रम के मुख्य उद्देश्य प्रतिभागियों को समाज विकास कार्यक्रमों की मानिटरिंग एवं मूल्यांकन की अवधारणा एवं महत्व के बारे में अनुशिक्षित करना, उन्हें कार्यक्रमों की मानिटरिंग के नवीनतम तरीकों एवं तकनीकों से अवगत कराना तथा महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए कार्यक्रमों की गुणात्मक मानिटरिंग एवं पर्यवेक्षण में उनकी कुशलता बढ़ाना है। इससे मानिटरिंग, शोध एवं मूल्यांकन के बारे में उनके परिप्रेक्ष्य को बढ़ाने के लिए विचारों के आदान–प्रदान हेतु एक अवसर भी मिलेगा । पाठ्यक्रम के बारे में आपकी जानकारी के लिए एक विवरणिका संलग्न है ।

2 पाठ्यक्रम के प्रतिभागियों में महिलाओं एवं बच्चों के विकास/कल्याण के लिए कार्यक्रमों से जुड़े हुए स्वैच्छिक संगठनों के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को शामिल किया जाएगा । आपसे यह अनुरोध है कि आप अपने संगठन से एक कार्यकारी/मध्यम स्तर के ऐसे कार्यकर्ता को नामित करने की कृपा करें जो महिलाओं एवं बच्चों से सम्बन्धित कार्यक्रमों से जुड़ा हो तथा जिसने पिछले दो वर्ष के दौरान संस्थान द्वारा आयोजित किसी प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग न लिया हो। उन कार्यकर्ताओं जिनकी आयु 65 वर्ष से अधिक या 21 वर्ष से कम हो तथा जिन कार्यकर्ताओं की शैक्षिक योग्यता स्नातक से कम हो, उन्हें नामित न करें ।

3 उल्लेखनीय है कि संस्थान के कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रत्येक सहभागी को 500/– रू (पांच सौ रूपये मात्र) का सांकेतिक पंजीकरण शुल्क पंजीकरण के समय देना होगा।

4 जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि नीति आयोग ने एन जी ओ दर्पण नामक एक वेबसाइट तैयार की है जिसमें सभी स्वैच्छिक संगठनों को पंजीकरण कराना वॉछनीय है । स्वैच्छिक संगठन होने के नाते आपसे अनुरोध है कि कृपया एन जी ओ दर्पण कोड /फाइल नम्बर का उल्लेख (संलग्न नामांकन प्रपत्र में) करने का कष्ट करें। अगर संगठन अभी तक पंजीकृत नहीं है तो वे उपर्युक्त वेबसाइट पर अपना पंजीकरण करा कर कोड / फाइल नम्बर प्राप्त कर सकते हैं । यदि नामांकन प्रोफार्मा में आपके कोड /फाइल नम्बर का उल्लेख नहीं होगा तो आपके नामांकन प्रोफार्मा पर विचार नहीं किया जायेगा ।

5 भरा हुआ नामांकन प्रपत्र पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ के साथ तथा संस्था के प्रमुख द्वारा अग्रसारित, संस्थान को दिनांक **4 मई, 2018** तक अवश्य भेज दें ताकि नामांकनों की औपचारिकता पूरी की जा सके । नामित सदस्य, संस्थान से सहभागिता की पुष्टि हो जाने के पश्चात ही दिल्ली के लिए प्रस्थान करें ।

आपके सहयोग और शीघ्र उत्तर की प्रतीक्षा है ।

भवदीय,

(डॉ. के.सी. जॉर्ज)
संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)

संलग्नकः उपरोक्त

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC COOPERATION & CHILD DEVELOPMENT
5, Siri Institutional Area, Hauz Khas, New Delhi – 110016

Orientation Course for Functionaries of Voluntary Organisations on Monitoring & Evaluation of Development Programmes for Women and Children

Venue : New Delhi
Date : 28 May – 1 June, 2018

COURSE DESIGN

Since independence Government of India has launched a number of programmes and schemes for the development of children and women. These programmes are not only concentrated in one Ministry but cut across several ministries such as Women and Child Development, Social Justice and Empowerment, Education, Health, Environment, Water Resources etc. However, the Ministry of Women & Child Development is set up exclusively for conceiving and implementing the programmes/schemes for welfare and development of women and children. Besides the centrally sponsored schemes like ICDS, the Ministry implements several other schemes such as Working Women's Hostel, Short-Stay Homes, Family Counseling Centres, SABLA, Swadhar, Pradhan Mantri Matritw Vandanaa Yojanaa , Scheme for Welfare of Working Children, Children in Need of Care & Protection, Rajiv Gandhi National Creche Scheme, Beti Bachao Beti Padhao with the active participation of voluntary organizations. Rashtriya Mahila Kosh has been established to promote micro credit for women self-help groups. It is being implemented through voluntary organizations.

2. The success of implementation of any programme or scheme largely depends on effective monitoring and evaluation of these by the implementing agencies. However, it has been noted that despite this important component being inbuilt in many schemes, the implementing agencies mainly the voluntary organizations lack enough knowledge and skills on monitoring and evaluation. Keeping this in view the Institute considered it worthwhile to organize a 5-day training programme on monitoring and evaluation for the functionaries of voluntary organizations who are involved in implementing the programmes and schemes for welfare of women and children.

Objectives

3. The main objectives of the Course would be to:-

- orient the participants to the concept and importance of Monitoring and Evaluation in Social Development Programmes;

- apprise the participants to the latest methods/techniques of monitoring and evaluation of the programmes; and

- enhance the skills of participants for quality monitoring and supervision of women and child development programmes.

Participants

4. The course would have 25-30 participants comprising executives and middle level functionaries of voluntary organizations engaged in the programmes and schemes for the development of women and children. The participants for the programme will be selected on the basis of criteria which may include educational qualifications, work experience, regional/local representation, language skill etc. The selection of the participants is purely discretionary and will be decided by the competent authority of the Institute.

Approach and Method of Training

5. Participatory methodology would be adopted during training to share the experiences, potentials and inherent talent; provide sequential flow of learning, relate to real life situations and bring about flexibility in the learning process. The method proposed to be used in training will be participatory i.e. lecture cum discussions, group exercises etc. Field visit will also be included for hands on experience.

Programme Faculty

6. Besides faculty members of the Institute, the faculty of the course would include experts in monitoring and evaluation of social developmental programmes from academic/technical institutions, voluntary organizations and the concerned government departments.

The medium of communication in the course will be English and Hindi.

Venue and Duration

7. The duration of Course will be for 5 days from 2**8 May - 1 June, 2018**. It will be conducted at the premises of the Institute located at 5, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, Hauz Khas, opposite Hauz Khas Police Station, New Delhi.

Assessment and Evaluation

8. The participants would evaluate the course on parameters such as course content, duration, skills of trainers and resource persons, training methods, training material, logistics, etc. on a questionnaire designed for the purpose. The information elicited would be useful for planning and conducting future courses.

Reading Material

9. Reading material would be made available to the participants during the course to supplement classroom teaching.

Award of Certificate

10. The participants will be awarded a certificate of participation on conclusion of the course.

Travel, Board and Lodging

11. The Institute will provide Travel Grant to Non- Official Participants, which are equivalent to AC-III tier rail fare including reservation charges (if actually spent) /bus fare by the shortest route for to and fro. Travel Grant as payable under the rules is calculated on the basis of rail fare of Express trains other than Rajdhani / Shatabdi/ Premium/ Duranto. The journey by road to the nearest railway station/bus station will be paid to the non-official participants on the basis of actual expenditure incurred subject to a limit of Rs.300/- each way (Outstation Participant). Local participants will be reimbursed actual expenditure incurred on local conveyance subject to a ceiling of Rs.100 each way per day.

The Institute will arrange board and lodging facility for all outstation participants at its **Hostel** located in the premises of the Institute. The facility will be available for one day prior and one day after the course i.e. from 27 May – 2 June, 2018.

Registration Fee

12. While the Institute will continue to subsidies its programmes, it has been decided to charge a nominal registration fee of Rs. 500/- (Rupees five hundred only) per participant for participation in the programme at the time of registration.

Code/File Number

13. The NITI Aayog has developed a website entitled “NGO Darpan” on which it is desirable for all VOs to register themselves. As a Voluntary Organisation you are requested to mention code/file number of “NGO Darpan” (on the Nomination Proforma). In case, your organization has not registered as yet, you can sign up with the above website and get code/file number. In case your Code/File number is not mentioned in the nomination form, your nomination will not be considered.

General Instructions

14. The following general information may please be noted :

i. The enclosed nomination form duly filled in by the participant and sponsored by the competent authority of the voluntary organization should reach the Institute at the earliest and latest by **4th May, 2018.**

ii. Functionaries above the age of 65 years and below the age of 21 years and those having educational qualifications below graduation may not be nominated.

iii. Functionaries who attended any training programme/workshop organized by the Institute or its Regional Centres in last two years may not be nominated.

iv. The nominees should proceed for participation in the course only on receiving confirmation from the Institute.

v. Nominees confirmed by the Institute, should bring along with them their identity proof which would be shown to Hostel Warden/attendant or at the time of registration.

vi. The Institute will not be in a position to take the responsibility of travel reservations. The participants are therefore requested to make return reservations before leaving their respective places for participation in the programme.

vii. The participants reporting late for the course or leaving it before its conclusion will not be entitled to Course Certificate and reimbursement of travel expenses.

viii. The Institute would not be in a position to extend hospitality/ facilities of stay etc. to participants' relatives and family members.

ix. No substitute would be permitted to attend the course.

All correspondence in this regard may please be addressed to :-

Dr. K.C. George
Joint Director (Training)
National Institute of Public Co-operation and Child Development
5, Siri Institutional Area, Hauz Khas,
New Delhi- 110016

Tel. No. 011-26963204, 26963002, 26969010 ext. 443
Mobile No. 9868157553, 9717349508
Fax: 011-26602312, 26851349
E-mail : nipccdmedivision@yahoo.com

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान

5, सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, हौज खास, नई दिल्ली – 1100016

स्वैच्छिक संगठनों के कार्यकर्ताओं के लिए 'महिलाओं और बच्चों के लिए विकास कार्यक्रमों की मानिटरिंग एवं मूल्यांकन' विषय पर आयोजित अनुशिक्षण पाठ्यक्रम

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 28 मई–1 जून, 2018

पाठ्यक्रम की रूपरेखा

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से आज तक भारत सरकार ने बच्चों एवं महिलाओं के विकास के लिए बहुत से कार्यक्रम एवं योजनाऐं प्रारम्भ की हैं । ये योजनाऐं किसी एक ही मंत्रालय में केन्द्रित न हो कर विभिन्न मंत्रालयों जैसे महिला एवं बाल विकास, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, जल संसाधन आदि द्वारा आरंभ की गई हैं । महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की स्थापना केवल महिलाओं तथा बच्चों के कल्याण एवं विकास के कार्यक्रमों / योजनाओं को बनाने एवं कार्यान्वित करने के लिए की गई है । आई.सी.डी.एस. जैसी केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अलावा मंत्रालय नौकरी शुदा महिलाओं के लिए छात्रावास, अल्प निवास गृह, परिवार परामर्श केन्द्र, सबला, स्वाधार, प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना, काम करने वाले, जरूरत मंद बच्चों की देखभाल व कल्याण के लिए योजना, राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशु गृह योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी अन्य योजनाओं को स्वयंसेवी संस्थाओं के सक्रिय सहयोग से कार्यान्वित करता है । महिला स्वयं सहायता समूहों को सूक्ष्म ऋण उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई है । इसे स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है ।

2. किसी भी कार्यक्रम के कार्यान्वयन की सफलता मुख्य रूप से कार्यान्वयन करने वाली संस्था द्वारा इनकी प्रभावी निगरानी एवं मूल्यांकन पर निर्भर करती है । अधिकतर योजनाओं में इस महत्वपूर्ण अवयव के अंतर्निहित होने के बावजूद कार्यान्वयन करने वाली संस्थाओं मुख्यतः स्वयं सेवी संस्थाओं में मानिटरिंग एवं मूल्यांकन की जानकारी एवं कुशलता का अभाव देखा गया है । इसे ध्यान में रखते हुए संस्थान ने मानिटरिंग एवं मूल्यांकन विषय पर स्वयं सेवी संस्थाओं के उन कार्यकर्ताओं के लिए जो महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण के कार्यक्रमों तथा योजनाओं के कार्यान्वयन से संबद्ध हैं, एक पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना उपयुक्त समझा है ।

उद्देश्य

3. पाठ्यक्रम के मुख्य उद्देश्य हैं : –

- प्रतिभागियों को समाज विकास कार्यक्रमों की मानिटरिंग एवं मूल्यांकन की अवधारणा एवं महत्व के बारे में अनुशिक्षित करना;
- उन्हें कार्यक्रमों की मानिटरिंग के नवीनतम तरीकों एवं तकनीकों से अवगत कराना
- तथा महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए कार्यक्रमों की गुणात्मक मानीटरिंग एवं पर्यवेक्षण में उनकी कुशलता बढ़ाना।

सहभागी

4. पाठ्यक्रम में स्वयं सेवी संस्थाओं के महिलाओं एवं बच्चों के विकास के लिए कार्यक्रमों तथा योजनाओं से संबद्ध कार्यकारी तथा मध्य स्तर के 25–30 सहभागी शामिल होंगे। सहभागियों का चयन कुछ मापदण्डों जिनमें शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव, क्षेत्रीय/स्थानीय प्रतिनिधित्व, भाषा कुशलता आदि शामिल हैं, के आधार पर किया जाएगा । सहभागियों का चयन पूर्णतः विवेकाधीन है तथा इसका निर्णय संस्थान के सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा ।

दृष्टिकोण एवं प्रशिक्षण की विधि

5. प्रशिक्षण के दौरान अनुभवों, सामर्थ्य एवं प्रतिभा को साझा करने, सीखने के आनुक्रमिक प्रवाह उपलब्ध कराने, वास्तविक जीवन से सम्बद्ध करने तथा सीखने की प्रक्रिया में लचीलापन लाने के लिए सहभागी कार्यपद्धति अपनायी जाएगी । प्रशिक्षण में सहभागी विधि अर्थात् व्याख्यान सह परिचर्चा, सामूहिक अभ्यास आदि का प्रयोग प्रस्तावित है । व्यावहारिक अनुभव के लिए क्षेत्र भ्रमण को भी शामिल किया जाएगा ।

कार्यक्रम के लिए अध्यापक मण्डली

6. पाठ्यक्रम के विषय की अध्यापक मण्डली में संस्थान के संकाय सदस्यों के अलावा शैक्षिक/तकनीकी संस्थानों, अन्य संगठनों तथा सम्बन्धित सरकारी विभागों के सामाजिक विकास कार्यक्रमों के प्रबोधन एवं मूल्यांकन में विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा ।

पाठ्यक्रम में सम्प्रेषण के माध्यम अंग्रेजी तथा हिन्दी होंगे ।

स्थान तथा अवधि

7. पाठ्यक्रम की अवधि 28 मई–1जून, 2018 तक 5 दिन की होगी । इसका आयोजन संस्थान के मुख्यालय, जो 5, सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रान्ति मार्ग, हौज खास, हौज खास पुलिस स्टेशन के सामने नई दिल्ली में स्थित है, के प्रांगण में किया जाएगा ।

आकलन एवं मूल्यांकन

8. सहभागी पाठ्यक्रम का मूल्यांकन इस उद्देश्य के लिए बनाई गई प्रश्नावली में पाठ्यक्रम विषय वस्तु, अवधि, प्रशिक्षकों तथा संसाधन व्यक्तियों की प्रवीणता, प्रशिक्षण विधि, प्रशिक्षण सामग्री, व्यवस्था जैसे मापदण्डों के आधार पर करेंगे । प्राप्त सूचना भविष्य में पाठ्यक्रमों की योजना बनाने एवं आयोजित करने के लिए उपयोगी होगी ।

पाठ्य सामग्री

9. प्रशिक्षण के दौरान कक्षाकक्ष की शिक्षा के पूरक के रूप में सहभागियों को पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी ।

प्रमाणपत्र प्रदान करना

10. सहभागियों को पाठ्यक्रम के समापन पर सहभागिता प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा ।

यात्रा, रहने तथा खाने की व्यवस्था

11. संस्थान द्वारा गैर सरकारी बाह्य सहभागियों को नई दिल्ली तक एवं से, सबसे छोटे मार्ग से रेल के ए.सी. 3 टियर के आरक्षण शुल्क (यदि वास्तव में भुगतान किया हो) सहित किराये/सबसे छोटे मार्ग से बस किराये के बराबर यात्रा अनुदान दिया जाएगा। नियमानुसार देय अधिकतम यात्रा अनुदान की गणना राजधानी/शताब्दी/प्रीमियम/दूरन्तो को छोड़कर एक्सप्रेस गाड़ी के रेल किराये या बस किराये के आधार पर की जायेगी । गैर सरकारी बाहरी प्रतिभागियो को नजदीकी रेलवे स्टेशन तक की रोड यात्रा के वास्तविक व्यय का भुगतान प्रति मार्ग अधिकतम 300/– रू0 तक किया जाएगा । स्थानीय सहभागियों को किराये की प्रतिपूर्ति स्थानीय परिवहन पर किये गये वास्तविक व्यय जो प्रति मार्ग प्रतिदिन अधिकतम 100 रू तक की जायेगी ।

संस्थान द्वारा सभी बाह्य सहभागियों के रहने व खाने की व्यवस्था संस्थान के प्रांगण में स्थित अपने छात्रावास में की जाएगी । यह सुविधा पाठ्यक्रम की अवधि से एक दिन पहले तथा एक दिन बाद अर्थात् 27 मई से 2 जून, 2018 तक उपलब्ध होगी ।

पंजीकरण शुल्क

12. यद्यपि संस्थान अपने कार्यक्रमों को आर्थिक सहायता देना जारी रखेगा, यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक सहभागी से पंजीकरण के समय रू 500 – (पांच सौ रूपये) पाठ्यक्रम में सहभागिता के लिए सांकेतिक पंजीकरण शुल्क के रूप में लिए जाएेंगे ।

कोड /फाइल नम्बर

13. नीति आयोग ने “एन जी ओ दर्पण” नामक एक वेबसाइट तैयार की है जिसमें सभी स्वैच्छिक संगठनों को पंजीकरण कराना वॉछनीय है । स्वैच्छिक संगठन होने के नाते आपसे अनुरोध है कि कृपया **“एन जी ओ दर्पण” कोड /फाइल नम्बर का उल्लेख (संलग्न नामांकन प्रपत्र में) करने का कष्ट करें** । अगर संगठन अभी तक पंजीकृत नहीं है तो वे उपर्युक्त वेबसाइट पर अपना पंजीकरण करा कर कोड/फाइल नम्बर प्राप्त कर सकते हैं । यदि नामांकन प्रोफार्मा में आपके कोड /फाइल नम्बर का उल्लेख नहीं होगा तो आपके नामांकन प्रोफार्मा पर विचार नहीं किया जायेगा ।

सामान्य

14. कृपया निम्नलिखित सामान्य जानकारी पर ध्यान दें :

(क) सहभागी द्वारा पूर्ण रूप से भरा गया संलग्न नामांकन प्रपत्र पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ के साथ तथा संस्था के प्रमुख द्वारा अग्रसारित, संस्थान को दिनांक **4 मई, 2018** तक प्राप्त हो जाना चाहिए ।

(ख) उन कार्यकर्ताओं जिनकी आयु 65 वर्ष से अधिक या 21 वर्ष से कम हो तथा जिन कार्यकर्ताओं की शैक्षिक योग्यता स्नातक से कम हो उनको नामित न करें ।

(ग) उन कार्यकर्ताओं, जिन्होंने संस्थान या इसके क्षेत्रीय केन्द्रों द्वारा पिछले दो वर्षों के दौरान आयोजित किसी प्रशिक्षण कार्यक्रम /कार्यशाला में भाग लिया है, उन्हें नामित न करें ।

(घ) प्रतिभागिता के लिए नामित प्रतिनिधि, संस्थान से सहभागिता की पुष्टि हो जाने के पश्चात ही दिल्ली के लिए प्रस्थान करें ।

(ङ) वे नामित प्रतिनिधि, जिनकी प्रतिभागिता की पुष्टि संस्थान द्वारा की गई हो, अपने साथ अपना परिचय पत्र अवश्य लायें जिसे छात्रावास अधीक्षक/परिचारक अथवा पंजीकरण के समय दिखाना होगा ।

(च) संस्थान यात्रा के आरक्षण की जिम्मेदारी लेने की स्थिति में नहीं होगा । इसलिए सहभागियो से निवेदन है कि वे पाठ्यक्रम में सहभागिता के लिए अपने स्थान से प्रस्थान करने के पूर्व वापसी का आरक्षण करा लें ।

(छ) पाठ्यक्रम के लिए देर से पहुंचने एवं समापन से पहले छोड़ने वाले सहभागी प्रमाणपत्र एवं यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र नहीं होंगे ।

(ज) संस्थान सहभागियों को रिश्तेदारों या परिवार के सदस्यों को आतिथ्य/सुविधाएं देने की स्थिति में नहीं होगा ।

(झ) सहभागी के स्थानापन्न व्यक्ति को सहभागिता की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

पाठ्यक्रम से संबंधित सारा पत्र व्यवहार कृपया निम्नलिखित पते पर करें :

डॉ. के.सी. जॉर्ज
संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान
5, सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया,
हौज खास, नई दिल्ली – 1100016
टेलीफोन नं0: 011-26963204/ 26963002/26969010/ Ext.443
फैक्स नं0: 01126602312, 26851349
मोबाइल नं0 09868157553, 09717349508

ई–मेल: nipccdmedivision@yahoo.com

Ph. 01126602312 Email: nipccdmedivision@yahoo.com; Website: www.nipccd.nic.in

Recent PP-sized colour Photograph

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान

National Institute of Public Cooperation & Child Development

सहभागियों के लिए प्रोफार्मा

Proforma for Participants

स्वैच्छिक संगठनों के कार्यकर्ताओं के लिए 'महिलाओं और बच्चों के लिए विकास कार्यक्रमों की मानिटरिंग एवं मूल्यांकन' विषय पर निपसिड,

क्षेत्रीय केन्द्र, इंदौर, में आयोजित अनुशिक्षण पाठ्यक्रम

दिनांक 28 मई–1 जून, 2018

Orientation Course for Functionaries of Voluntary Organizations on Monitoring and Evaluation of Developmental Programmes for Women and Children at NIPCCD Regional Centre, Indore

Date : 28 May-1 June, 2018

Course Director : Sh. H.P. Joshi
Mobile No. 9868157553, 9717349508

Mandatory

Please Provide the **Registration/UID No.** issued under NGO Darpan of NITI Aayog/Planning Commission_......................................

भाग– क

Part – A

AAdhar No.....................

1. सहभागी का नाम एवं पद
Name of the Participant & Designation
(CAPITAL LETTERS)
   i) जन्मतिथि
   Date of Birth
   ii) Age / आयु
   iii) लिंग स्त्री/पुरूष Sex Male/Female
   iv) अनु.जा./जन.जा./अ.पि.व./अ.सं./सामान्य/अन्य SC/ST/OBC/Minority/Gen/Others:

2. शैक्षिक/व्यावसायिक योग्ताएं
Educational/Professional Qualifications

3. कोई स्वास्थ्य सम्बन्धी/चिकित्सीय समस्या (बीमारी/असमर्थता) जिसकी जानकारी संस्थान को होनी चाहिए
Any health/medical problem (disease/disability) which may be communicated to the Institute

4. क्या सहभागी अंग्रेजी एवं हिन्दी भाषा अच्छी तरह से समझ लेता है एवं उसके माध्यम से बातचीत कर सकता है? हां/नहीं
Whether the participant can comprehend and Communicate effectively in English& Hindi?
Yes/No

5. प्रायोजित करने वाले संगठन/विभाग का नाम एवं डाक पता पिन कोड सहित
Name & Address of the sponsoring organization/department

दूरभाष Telephone No.
ई–मेल E-mail

6. प्रायोजित करने वाले संगठन/संस्था का पंजीकरण विवरण NGO Registration details:

NGO Registration Number	Act under which the Organization is registered	State

7. संस्था के मुख्य कार्य
Major functions of the Organisations

8. सहभागियों का पाठ्यक्रम हेतु पत्राचार के लिए पता
Postal address of the participant for the purpose of Correspondence for the programme

8. सहभागियों की सेवा/अनुभव की अवधि Length of service/experience of the participant वर्ष /Year

9. इससे पूर्व निपसिड के किसी कार्यक्रम (पाठ्यक्रम/सेमिनार/कार्यशाला) में भाग लिया है हां/नहीं
Participation in earlier programmes (courses/seminars/workshops) organised by NIPCCD Yes/No
यदि हां, तो कार्यक्रम का नाम तथा वर्ष स्पष्ट करिए
If yes, specify the name and year of Programme

कार्यक्रम का नाम Name of the Programme	स्थान Venue	वर्ष Year
i)		
ii)		
iii)		

10. प्रायोजित करने वाले संगठन/विभाग के महिलाओं/बच्चों के विकास के क्षेत्र में कार्यक्रम/गतिविधियां
Programmes/activities of the sponsoring organisation/department in the area of women/child development:
i)
ii)
iii)

11. सहभागी की प्रायोजित करने वाले संगठन में भूमिका और उत्तरदायित्व
Role and responsibilities of the participants in the sponsoring organization

……………………………………………………………………

12. प्रायोजित करने वाले संगठन ने किसी सरकारी संगठन/विभाग से अनुदान प्राप्त किया है? हां/नहीं
Whether the sponsoring organization has received any grant from Govt. Organisation/Department Yes/NO

यदि हां, तो स्पष्ट करिए If yes, please specify

Sl. No.	Name of the Govt. Department/Agency	Year	Beneficiaries	Status of the Project	Remarks

i)					
ii)					
iii)					
iv)					

दिनांक :
Date :

हस्ताक्षर
Signature

भाग–ख Part B

(प्रायोजित करने वाली संस्थाओं के लिए)
(For Sponsoring Organisation)

स्वैच्छिक संगठनों के कार्यकर्ताओं के लिए 'महिलाओं और बच्चों के लिए विकास कार्यक्रमों की मानिटरिंग एवं मूल्यांकन' विषय पर निपसिड नई दिल्ली में दिनांक 28 मई से 1 जून, 2018 तक आयोजित अनुशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिए मैं श्री/श्रीमती/सुश्री–––––––––––––––––––––––– जो इस संस्था में ––––––––––––––––––––––– के पद पर कार्य कर रहे हैं का आवेदन पत्र अग्रेषित कर रहा/रही हूं । कृपया उनका नामांकन स्वीकार करें । ये हमारे संगठन के वास्तविक कर्मचारी हैं ।

प्रमाणित किया जाता है कि नामित ब्यक्ति पूर्णतः स्वस्थ है तथा उसे परिवार के सदस्य/रिस्तेदार/देखरेख करने वाले/परिचारक/सहायक के सहारे की आवश्यकता नहीं है

I forward the application of Shri/Smt./Ms.____________________ working as ________________ in this organisation, to participate in the "**Orientation Course for Functionaries of Voluntary Organizations on Monitoring and Evaluation of Developmental Programmes for Women and Children**" from 2**8 May - 1 June, 2018 at NIPCCD, New Delhi**. His/her nomination may kindly be accepted as he/she is a bonafide employee of my organization.

It is certified that the nominee is medically fit and does not require any support of family members/relatives/caregivers.

संगठन प्रमुख के हस्ताक्षर
Signature of Head of the Organisation

नाम
Name

पदनाम
Designation

संगठन का पूरा पता (कार्यालय की मुहर के साथ)
Complete Address of the Organization (With Seal)